



इलाहाबाद विश्वविद्यालय
प्रयागराज -211002, उ०प्र० (भारत)
UNIVERSITY OF ALLAHABAD
PRAYAGRAJ -211002, U.P. (INDIA)



पत्रांक:- रा.भा./ श्रुतलेख प्रोत्साहन योजना /

304

दिनांक 11 जुलाई, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- अधिकारियों को हिन्दी में श्रुतलेख (डिक्टेशन) देने हेतु प्रोत्साहन योजना के संबंध में I

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं० II/12013/18/93-रा.भा०(नी-2) दिनांक 16 सितम्बर, 1998 के अनुपालन में तथा माननीय कुलपति महोदया के अनुमोदनोपरांत इस योजना को इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लागू किया जा रहा है।

2. इस योजना के अंतर्गत ऐसे अधिकारी पात्र होंगे जिन्होंने हिंदी भाषा में अपने अधीनस्थ स्टेनोग्राफर (आशुलिपिक)/निजी सचिव आदि को श्रुतलेख (डिक्टेशन) दिया हो या सामान्यतः डिक्टेशन देते हों। इस योजना के अंतर्गत हिंदी में श्रुतलेख (डिक्टेशन) देने वाले अधिकारियों में से सबसे अधिक श्रुतलेख (डिक्टेशन) देने वाले अधिकारी को रु 5000.00 (पाँच हजार मात्र) की धनराशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाएगी।

3. हिंदीतर क्षेत्र के अधिकारी (अर्थात् जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है) इस योजना में पृथक रूप से पात्र होंगे।

4. उक्त पुरस्कार हेतु अधिकारियों के चयन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक समिति का गठन किया जाएगा जिसकी संस्तुति के आधार पर पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।

5. राजभाषा अनुभाग से जुड़े अधिकारी इस योजना से आच्छादित नहीं होंगे।

6. इस योजना के अंतर्गत पात्रता की गणना प्रत्येक वित्त वर्ष अर्थात् 01 अप्रैल से 31 मार्च की जाएगी।

7. अधिकारियों द्वारा हिंदी में दिए गए श्रुतलेख (डिक्टेशन) कार्यों का रिकार्ड अपने स्तर से संरक्षित एवं अभिलिखित करना होगा तथा विहित प्रपत्र अनुसंलग्नक 'क' के माध्यम से सम्यक रूप से भरकर प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक राजभाषा अनुभाग, तिलक भवन को ऑनलाइन (ps.ukindia11@gmail.com / rajbhasha.au@gmail.com) या ऑफलाइन प्रेषित करना होगा।

नरेन्द्र कुमार शुक्ल
(प्रो. नरेन्द्र कुमार शुक्ल) 11/7/24
कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रभारी अधिकारी, आई.सी.टी.सेल- वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
2. समस्त अधिष्ठाता, इ.वि.वि.
3. समस्त विभागाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक
4. प्राचार्य/प्राचार्या, संघटक महाविद्यालय
5. परीक्षा नियंत्रक, इ.वि.वि.
6. कुलानुशासक, इ.वि.वि.
7. वित्त अधिकारी, इ.वि.वि.
8. समस्त संयुक्त सहायक/ कुलसचिव, इ.वि.वि.
9. पुस्तकालयाध्यक्ष, इ.वि.वि.
10. कुल अभियंता, इ.वि.वि.
11. राजभाषा कार्यान्वयन समिति के समस्त सदस्य
12. समन्वयक, रा.भा.का.समिति
13. कुलसचिव के वैयक्तिक सहायक
14. कुलपति के सचिव को कुलपति महोदया को सादर सूचनार्थ।

पुनीता सीकर-तप
11.07.2024
हिंदी अधिकारी
राजभाषा अनुभाग |

